

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

कृष्ण कुमार पुत्र होडाराम

बनाम 1. होडाराम पुत्र मामचन्द

2. नय्याराम 3. सिलोचन 4. धनी  
5. रघुभीम/पुत्र होडाराम नि० धनीजी।  
सा-भादरा।

दावा बाबत :- 88 RTA व

मुकदमा नम्बर :- 220/2020

निर्णय दिनांक :- 08.10.2021

वादी की ओर से वकील पवन सिंघान की व प्रतिवादी सं० 1874 की ओर से वकील रोहिता शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/10/21

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही भौजा च 5। जेजी डब्ल्यू के खाता सं० 31/25 के मु० न० पा, 51, 52 की कुल 6.5780 हे० नही मप रास्ता खाला व रोही भौजा च 8 रघुभीम के खाता सं० 64/59 के मु० न० 27, 28, 38, 35 की कुल 7.0840 हे० वारानी जो प्रतिवादी सं० 1 होडाराम पुत्र मामचन्द के नाम राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है मैं प्रतिवादी सं० 1 होडाराम की वजाय वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 (01/04) को वही खाता खोल के खातेदार घोषित किए जाते हैं शमी अनुमार राजस्व रिजॉर्ड में अमल दामद कुट राजस्व रिजॉर्ड कुल सह किया जावे। डीडी के माप दावा प्रति प्रतंगन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा